UPMZ040299572021

न्यायालय A.C.J.M. C.NO.1, Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (DR. DEVENDRA SINGH FAUZDAR), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा)**

– UP02111

<u>परिवाद संख्याः 23813/9/2021</u>

1. श्रीमती भारती शर्मा पत्नी अंकित भारद्वाज पुत्री श्री सुखराम शर्मा, निवासी ग्राम बसेडा थाना छपार जिला–मुजफ्फरनगर।

––––––––––परिवादीया

<u>बनाम</u>

1. अंकित भारद्वाज पुत्र सतीश कुमार शर्मा।
2. श्रीमती ऊषा देवी पत्नी सतीश कुमार शर्मा।
3. सतीश कुमार पुत्र ब्रजमोहन शर्मा।

निवासीगण म0नं0 112/3 मौ0 कमलनगर, एम0आर0 पब्लिक स्कूल के पास थाना नई मण्डी, जिला–मुजफ्फरनगर।

––––––––––अभियुक्तगण
धारा– 406 भारतीय दण्ड संहिता
थाना– छपार, जिला मु०नगर।

<u>निर्णय</u>

1. परिवादीया श्रीमती भारती शर्मा द्वारा परिवाद प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण अंकित भारद्वाज, श्रीमती ऊषा देवी व सतीश कुमार का विचारण अन्तर्गत धारा– 406 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किया गया है।

2. परिवादीया भारती शर्मा द्वारा न्यायालय के समक्ष परिवाद अर्न्तगत धारा 406 भा०दं०सं0 को प्रस्तुत कर सारतः कथन किया गया कि– परिवादिया की शादी हिन्दू धर्म तथा बिरादरी के रिति रिवाजों के अनुसार मुलजिम नं0–1 के साथ दिनांक 8–11–2019 को हुई थी। मुलजिम न०–२ मुलजिम न0–1 की माँ है जबकि मुलजिम न०–३. मुलजिम नं0–1 का पिता है। परिवादिया के माता पिता ने मुलजिमान की मांग पर मुलजिम नं०–1 की शादी में अपनी सामर्थ से अधिक लगभग 15 लाख रूपये करके जानसठ रोड, मुठनगर में मैरिज होम में शादी की थी और शादी में लगभग मु० पाँच लाख रूपये नकद व पाँच लाख रूपये के कपडे, जेवर व स्त्रीधन तथा अन्य सामान जिसका विवरण परिवाद के अन्त में दिया गया है समस्त स्त्रीधन शादी में उपस्थित अनिल कुमार शर्मा आदेश कुमार शर्मा, प्रदीप शर्मा तथा अन्य सैकडो व्यक्तियों के सामने मुलजिमान को इस आशय के साथ कि जब भी परिवादिया मुलजिमान से अपना जेवर, कपडा यानि कुल स्त्रीधन मांगेगी तब मुलजिमान परिवादिया को वापस सौंप देंगे। मुलजिमान की अमानत में दे दिया था और जो मुलजिमान 1 ता 3 के कब्जे में है। शादी के बाद परिवादिया ने पाया कि मुलजिमान दहेज के लालची है और अधिक दहेज की मुलजिमान ने मांग की तथा अपनी मांग को लेकर परिवादिया के साथ गाली गलौच व मारपीट की है। परिवादिया के कहने व कहलवाने के बावजूद भी मुलजिमान ने परिवादिया का स्त्रीधन नहीं लौटाया। दिनांक 27–8–2021 को शाम के 4.30 बजे मुलजिम नं0–1 व मुलजिमान नं0–2 व 3 ने परिवादिया के गले में दुपटटा बाँधकर जान से मारने का प्रयास किया व मारपीट की और अपने घर से सिर्फ पहने हुए कपडों में निकाल दिया, बडी मुश्किल से परिवादिया पुलिस की

सहायता से मायके पहुँची। तब से ही परिवादिया की बिना मर्जी के परिवादिया के सामान (स्त्रीधन) को इस्तेमाल कर रहे है तथा कुछ सामान को तोडफोड भी दिया है तथा बदनियती से परिवादिया का उपरोक्त सभी सामान हडप कर लिया है, इस तरह से सभी मुलजिमान ने मिलकर परिवादिया के साथ परिवादिया की शादी में दिये गये उपहार स्वरूप सामान को न लौटाकर अमानत में ख्यानत की है जबकि मुलजिमान को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है और यह कानूनी अपराध है। परिवादिया ने अपना स्त्रीधन जेवर, कपडा आपने भाई अंकुर शर्मा व बेगराज शर्मा के माध्यम से मुलजिमान से जेवर कपडा स्त्रीधन तलब किया तो मुलजिमान पहले तो बहाने बनाकर टालते रहे और फिर अन्त में दिनांक 16–10–2021 को फोन कॉल के माध्यम से परिवादिया को लौटाने से मना कर दिया था और मुलजिमान ने अमानत में ख्यानत की है तथा परिवादिया को स्त्रीधन मांगने पर जान से मारने की धमकी दी कि अगर आईन्दा कोई स्त्रीधन मांगा तो जान से मार देंगे। परिवादिया ने इस सम्बन्ध में एक नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 26–10–2021 व दिनांक 11–11–2021 को भिजवाया था जो आपने डाकिया से मिलकर वापिस लौटा दिया । इस प्रकार मुलजिमान ने अमानत में ख्यानत की है और परिवादिया का स्त्रीधन हडप किये हुए है।

सम्पत्ति – जेवर, कपडा (स्त्रीधन) जो वादिया की शादी में उसके परिजनों द्वारा दिया गया अनुमानित कीमत सहित–

1– एक गले की चैन लोकिट सहित सोने की लडकी की वजनी 10 ग्राम कीमत लगभग 40.000 /– रूपये 2 कानो की झुमकी सोने की लडकी की वजनी 13 ग्राम कीमत लगभग 52,000 /– रूपये 3 एक अंगूठी लडकी की सोने की वजनी 5 ग्राम कीमत लगभग 20,000 /– रूपये 4 लडकी की पायल बावजुबन्द, सिन्दूरदानी, गुच्छा तगडी चाँदी का मोती नाक का सोने का, चाँदी के सिक्के चुकटी वजन लगभग 400 ग्राम कीमत लगभग 20,000/– रूपये 5– लडके की सोने की चैन वजनी 15 ग्राम कीमत लगभग 60,000/– रूपये 6– लडके की सोने की अंगुठी वजनी 5 ग्राम कीमत लगभग 20,000/– रूपये 7– लड़के की माँ के कान के कुण्डल वजनी 5 ग्राम कीमत लगभग 20,000/– रूपये 8– लडके की माँ की पायल, चुकटी, नाक का मोती वजनी 80 ग्राम कीमत लगभग 4,000/–रूपये 9 वाशिंग मशीन कीमत 13,500/– रूपये 10– फिज कीमत 11,500/–रूपये 11 बैड कीमत 13,000/– रूपये 12 सौफा सैट कीमत 25,000/– रूपये 13 सैफ कीमत 12,000 /– रूपये 14– गददे कीम 4,000/– रूपये 15– ड्रेसिंग टेबिल कीमत 3,500/– रूपये 16 कूलर कीमत 11,000/– रूपये 17– एल०ई०डी० कीमत 16,500/– रूपये 18 सन्दूक कीमत 5,000/– रूपये 19 मिक्सी कीमत 3,000/– रूपये 20 सिलाई मशीन कीमत 4.000/– रूपये 21– प्रेस कीमत 1,000/– रूपये 22 बिस्तर तीन गर्म कीमत 10,000/– रूपये 23– बिस्तर दो ठण्डे कीमत 5,000/– रूपये 24 लडकी की 21 साडी कार्डिगन आदि कीमत 30,000/– रूपये 25 लांचा कीमत 6,000/– रूपये 26– कपडा दहेज का 31 जगह, जोडे, साडी, बच्चों के आदि कीमत 50,000 /– रूपये 27– 101 बर्तन व डीनर सैट कीमत 27,000/– रूपये 28– एक अटैची कीमत 3,000/– रूपये 29 लडके के दो सूट एक गर्म व एक ठण्डा कीमत 10,000/– रूपये 30–पाँच लाख रूपये नकद जिनमें लडके को अपनाने की रस्म, सगाई, मॉग भराई व लगन शादी कुल मिलाकर नकद 5,00,000/–रूपये दिये गये। 31–मांग भराई व शादी के अवसर पर जानसठ रोड, मु०नगर में किराये पर लिये गये वैंकट हाल, खाना, रहना, कैटरिंग आदि में हुआ खर्चा मु० 5,00,000/– रूपये कुल मुबलिग 15,00,000/–रूपये।

3. परिवादीया के उपरोक्त परिवाद पत्र पर परिवादीया के बयान अर्न्तगत धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता व अनिल व अंकुर शर्मा के बयान अर्न्तगत धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अवलोकन के पश्चात दिनांक 22.07.2022 को विपक्षीगण अंकित भारद्वाज, श्रीमती उषा देवी एवं सतीश कुमार को धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तगत विचारण हेतु बतौर अभियुक्तगण तलब किया गया। अभियुक्तगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत करायी ।

4. परिवादीया की ओर से धारा 244 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत दो साक्षीगण पी0 डब्लू0 1 स्वयं परिवादीया श्रीमती भारती शर्मा एवं पी0 डब्लू0 2 अंकुर शर्मा, पी0 डब्लू0 के साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया है। उक्त साक्षीगण के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण अंकित भारद्वाज, श्रीमती उषा देवी एवं सतीश कुमार के विरूद्ध धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अर्न्तगत आरोप विरचित किया गया। आरोप विरचन

के पश्चात् धारा 246 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत चार साक्षीगण पी0 डब्लू0 1 भारती शर्मा व पी0 डब्लू0 2 अंकुर शर्मा, पी0 डब्लू0 3 अनिल व पी0 डब्लू0 4 बिजेन्द्र को प्रतिपरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया ।

5. परिवादीया के द्वारा साक्ष्य सम्पन्न किए जाने के पश्चात् अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने परिवाद कथानक को गलत बताया । साक्षीगण की साक्ष्य को झूठा बताया, मुकदमा गलत चलने का तथा सफाई साक्ष्य न देने का कथन किया।

6. **परिवादिया द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण अन्तर्गत धारा 244 दण्ड प्रक्रिया संहिता–**

क्रम सं०	साक्षी पद	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
1.	पी०डब्लू० 1	श्रीमती भारती शर्मा	परिवादिया/पीड़िता
2.	पी०डब्लू० 2	अंकुर शर्मा	परिवादिया का भाई/चक्षुदर्शी साक्षी

7. **परिवादिया द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण अन्तर्गत धारा 246 दण्ड प्रक्रिया संहिता–**

क्रम सं०	साक्षी पद	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति
1.	पी०डब्लू० 1	श्रीमती भारती शर्मा	परिवादिया/पीड़िता
2.	पी०डब्लू० 2	अंकुर शर्मा	परिवादिया का भाई/चक्षुदर्शी साक्षी
3.	पी०डब्लू० 3	अनिल कुमार	फर्नीचर विक्रेता
4.	पी०डब्लू० 4	बिजेन्द्र कुमार	स्वर्ण व रजत आभूषण विक्रेता

8. उल्लेखनीय है कि परिवादिया द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फैहरिस्त सबूत दिनांकित 07.05.2025 असल रसीद कपड़ा रसीद सं0 1 ता 6, असल रसीद जेवर रसीद सं0 7 ता 8, असल रसीद सामान रसीद सं0 9 ता 12 व असल रसीद बाबत बेंकटहॉल दाखिल किए गए है।

9. परिवादिया व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस को सुना एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

10 पी०डब्लू० 1 भारती शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान अन्तर्गत धारा 244 दं0 प्र0 सं0 में कथन किया है कि: "मेरी शादी मुल्जिम नं0 1 के साथ दिनांक 08.11.2019 को हुई थी। मेरे पिता ने मुल्जिम अंकित, सतीश व उषा देवी की मांग पर मेरी शादी में 15 लाख रूपये खर्च किए थे। शादी जानसठ रोड मैरिज होम में हुई थी। शादी में पांच लाख रूपये नगद व पांच लाख रूपये कपड़े व स्त्रीदन व अन्य सामान दिया था। जिसका विवरण परिवाद में दिया गया है। मेरा स्त्रीधन शादी में उपस्थित अनिल कुमार शर्मा, आदेश शर्मा, प्रदीप शर्मा व सैकड़ों व्यक्तियों के सामने मुल्जिमान अंकित, उषा देवी को इस आशय के साथ कि जब भी मैं अपना जेवर, कपड़े, स्त्रीधन मांगू तो वे मुझे वापस सौंप देंगे। सारा जेवर स्त्रीधन इन तीनों मुल्जिमान के अमानत में दे दिया था। तीनों मुल्जिमान दहेज के लालची है। मेरे साथ अनेक बार मारपीट की है। मेरे कहने व कहलवाने के बाद भी मेरा स्त्रीधन वापस नहीं लौटाया। अमानत खयानात कर रहे है। दिनांक 27.08.2021 को समय 04.30 बजे तीनों मुल्जिमान ने मेरे गले में डूपट्टा डालकर जान से मारने की कोशिश की, पुलिस की सहायता से अपने घर पहुंची। मुल्जिमान तब से ही मेरे सामान को इस्तेमाल कर रहे है कुछ सामान तोड़ फोड़ दिया। शादी में जो सामान मुल्जिमान को दिया गया था। अमानत में खयानत की है। मैंने जेवर, कपड़ा स्त्रीधन लेने अंकुर शर्मा व बेगराज शर्मा को भेजा उन्होंने मुल्जिमान से सामान मांगा पहले बहाना बनाते रहे फिर टेलीफोन से मना कर दिया, फिर मुझे जान से मारने की धमकी दी। दिनांक 26.10.2021 व 11.11.2021 को मुल्जिमानों को नोटिस भिजवाया जो डाकिया से मिलकर वापस कर दिया इसलिए मुल्जिमान ने अमानत में खयानात की है। मेरे स्त्रीधन का विवरण मेरे परिवाद पत्र के साथ दर्ज है। परिवाद में लिखा है। मैंने परेशान होकर मुल्जिमान के खिलाफ परिवाद दायर कराया है। स्त्रीधन की मैं मालिक हूं। मुल्जिमान को केवल सौंपा गया था उन्होंने वापस नहीं लौटाया उन्होंने अमानत में खयानात की है। मेरी ससुराल में चार व्यक्ति है मैं दिनांक 27.08.2021 को अपनी ससुराल से अपने मायके आई थी। सामान खरीदने के लिए मेरे माता पिता सगे सम्बन्धि जैसे अनिल शर्मा, आदेश शर्मा मेरा भाई अंकुर शर्मा गये थे। मैं यह नहीं बता सकती कि सामान किस दुकान से खरीदा

था जो सामान शादी में दिया था वो पांच लाख रूपये का सामान जेवर आदि दिए थे। सामान की लिस्ट के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। मुझे मेरे माता पिता ने बताया था कि लिस्ट का आदान प्रदान हुआ था दोनों पक्षों के हस्ताक्षर थे या नहीं मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मुकदमें में सामान से सम्बन्धित कोई रसीद या बिल दाखिल नहीं है। ये मेरी जानकारी में नहीं है। इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं पढ़ी लिखी हूं। मैंने एम.ए., बी.एड किया। मैं किसी संस्था में नहीं पढ़ाती हूं। मैंने किसी मुकदमें में प्रार्थना पत्र दिया था अन्य कहीं नहीं दिया। मैं नहीं बता सकती एस.एस.पी. को प्रार्थना पत्र किस दिनांक को दिया था मैं नहीं बता सकती बारात का खर्च लगभग पांच लाख रूपये हुआ था। पत्रावली पर दाखिल बिल ना होने का कोई कारण नहीं बता सकती। मैं लिस्ट बनाने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बता सकती। मेरे सामने सामान की कोई लिस्ट नहीं दी गई थी। दिनांक 26.10.2021 व 11.11.2021 को मैंने अपनी ससुराल वालों को नोटिस भिजवाये थे। गोद भराई के समय पैसा खर्च कितना हुआ था मुझे जानकारी नहीं है। दिनांक 16.10.2021 को हमने ससुराल वालों से स्त्रीधन वापस करने की मांग की थी। यह कहना गलत है कि मेरी शादी बिना दान दहेज के हुई हो। मैं अपनी ससुराल से कोई सामान वापस नहीं लाई थी।"

11. पी०डब्लू० 1 भारती शर्मा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 246 दं0 प्र0 सं0 में कथन किया कि " वाद के अन्त में स्त्रीधन की लिस्ट लगी हुई है। मैं पूरे आभूषण सोने के कितने तोले के थे नहीं बता सकती। सोने के आभूषण की कीमत नहीं बता सकती। अलग–अलग की कीमत बता सकती हूं। मैं फ्रिज, बिस्तर की इकट्ठी कीमत नहीं बता सकती हूं। अलग–अलग बता सकती हूं। शादी का सामान खरीदने के लिए मेरे माता पिता जी व भाई गये थे मैं नहीं गयी थी। किस दुकान से शादी का सामान खरीदा था मैं दुकान का नाम नहीं बता सकती। सामान की रसीद आयी थी पक्की रसीद आई थी वो हमने दावे के साथ सलंग्नक नहीं की मैं इसकी वजह नहीं बता सकती मैं शादी के बाद ससुराल में करीब 15 दिन रही फिर बीच–बीच में कभी चली जाती थी। ससुराल से पहली बार अपने घर शादी के दो दिन बाद आई थी। ससुराल वालों का अच्छा व्यवहार नहीं था। नोटिस दिया था उसके देने की तारीख मुझे याद नहीं है। मेरा स्त्रीधन मांगने मेरा भाई व मामा गये थे। हमने तीसरे गवाह के बयान नहीं कराये थे। मैं अपने स्त्रीधन मांगने नहीं गयी थी। जब मैं ससुराल में रही थी। वहां पर सामान व स्त्रीधन मांगने की कोशिश की थी उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। मिक्सी कितनी कीमत की थी मुझे याद नहीं। हमने पांच बिस्तेरे दिये थे उनकी कीमत याद नहीं। जोड़े आदी कपड़ा दिया गया था उनकी कीमत याद नहीं दावे पर मेरे हस्ताक्षर है। मैंने दावे के समय सामान की कोई रसीद दाखिल नहीं की है। यह कहना गलत है कि मेरी शादी बिना दान दहेज के हुई थी। यह कहना भी गलत है कि मैं अपनी ससुराल से कोई सामान अपने मायके नहीं लाई थी। यह कहना गलत है कि मैं कोई सामान लेकर नहीं गयी।"

12. पी०डब्लू० 2 अंकुर शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान अन्तर्गत धारा 244 दं0 प्र0 सं0 में कथन किया कि "परिवादीया भारती शर्मा मेरी बहन लगती है। भारती शर्मा की शादी दिनांक 08.11.2019 को अभियुक्त नं0–1 अंकित भारद्वाज के साथ हुई थी। मुल्जिमान सतीश ससुर, उषा देवी भारती की सास है। भारती की शादी में मैं और बहुत से लोग शामिल थे। मेरे पिताजी ने भारती की शादी मु0 नगर केविडेन्स रिसोर्स जानसठ रोड मु0 नगर में की थी। मेरे पिता जी भारती की शादी में लगभग 15 लाख रूपये खर्च किए थे। पांच लाख रूपये नगद, पांच लाख स्त्रीधन व पांच लाख खाना पीना व अन्य सामान दिया। जेवर सोने, चांदी के सामान व कपड़ों की लिस्ट वाद पत्र के साथ संलग्नक है। ये सभी सामान मेरे व सगे सम्बन्धी के सामने दिया। मुल्जिमानों को सौंप दिया था। इस आशय से दिया कि जब हमारी लड़की मांगे तो वापस कर देना। ये सभी सामान तीनों मुल्जिमान को सौंप दिया था। ये सभी सामान आज भी सभी मुल्जिमानों के पास है। सभी मुल्जिमान दहेज लालची है। भारती ने ये सामान कई बार मांगा लेकिन मुल्जिमान ने नहीं दिया। सामान मांगने पर मुल्जिमान मारपीट करते थे। गाली गलौच करते थे। सामान वापस नहीं दिया। दिनांक 27.08.2021 को मुल्जिमान 1 ता 3 ने भारती के साथ मारपीट, गाली गलौच किया और जान से मारने का प्रयास किया। भारती शर्मा पुलिस की सहायता से बसेड़ा पहुंची। भारती शर्मा का कपड़ा व समस्त स्त्रीधन विपक्षीगणों की अमानत में है। उनके कब्जे में है। वे इनमें तोड़फोड़ कर रहे है। जबकि ये समस्त स्त्रीधन भारती शर्मा का है। मुल्जिमान को इसे रखने का कोई अधिकार नहीं है। भारती ने मेरे, बेगराज शर्मा के माध्यम से सामान मांगा तो जान से मारने की धमकी दी। भारीत की शादी में उसका जेवर कपड़ा स्त्रीधन

मेरे व अनील शर्मा, आदेश शर्मा व सैकड़ों रिस्तेदार व गांव वालों के सामने दिया था। जो मुल्जिमान 1 ता 3 के पास है। भारती के मांगने पर नहीं लौटाया। भारती ने अपना सामान मांगने के लिए नोटिस दिनांक 26.10.2021 व 11.11.2021 को दिया। नोटिस देने के बाद भी सामान वापस नहीं किया। विपक्षीगण ने अमानत में खयानत किया। विपक्षीगण सामान का दुरूप्रयोग कर रहे है।"

13. पी०डब्लू० 2 अंकुर शर्मा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 246 दं0 प्र0 सं0 में कथन किया कि "मैं भारती शर्मा का छोटा भाई हूं। स्त्रीधन खरीदने के लिए मैं अपने पिताजी के साथ गया था। अन्य कोई व्यक्ति नहीं था। हमने फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक का सामान सर्व प्रथम खरीदा था दोनों की कीमत 1,23,000/– रूपये लगभग थी। इसकी रसीद हमने ली थी लेकिन पत्रावली पर दाखिल नहीं है। सामान की लिस्ट का आदान प्रदान हुआ था लेकिन पत्रावली पर दाखिल नहीं लेकिन वाद पत्र के साथ लिस्ट सम्मिलित है। भारती ने जो प्रार्थना पत्र एस.एस.पी के यहां दिये थे। उनके साथ मैं भी गया था। शादी का लेन देन मेरे पापा के हाथ में था। मेरे हाथ में नहीं था। मुझे बारात के खर्चे की जानकारी है। नोटिस दिनांक 26.10.2021 व 11.11.2021 को दिया था। स्त्रीधन लौटाने के लिए मैं मुल्जिमान से फोन से सम्पर्क किया था। मैंने दिनांक 16.10.2021 को फोन किया था। चैन का लॉकेट लड़की का 10 ग्राम का था। उसकी कीमत लगभग 40 हजार रूपये होगी। सैफ 12 हजार, गद्दे 4 हजार रूपये के थे। लड़के की चैन 15 ग्राम की थी लड़की की बाजूबन्द पायल, चुटकी चांदी के सिक्के सिन्दूरदानी गुच्छा तगड़ी नाक का मोती इन टोटल का वजन 400 ग्राम था। इनकी कीमत 20 हजार थी। आभूषण बगैरा हमने थाना भवन से खरीदे थे। इसकी रसीद हमारे पास है। थाना भवन के के पास हरड़ से लिये थे। सौफा आदि हमने अपने गांव के खुशी फर्नीचर से खरीदे थे। इलैक्टॉनिक का सामान मु0 नगर से खरीदा था। सामान वापस का पोन हमने लड़के के पिता जी को किया था। यह कहना गलत है कि वादीया के घरवालों ने मुल्जिमान को शादी में कोई सामान ना दिया हो। यह कहना गलत है कि हम जबरदस्ती मुल्जिमान के यहां से भरकर अपने घर ले गए हो। यह कहना गलत है कि सामान हमारे घर पर हो। स्त्रीधन वापसी के कॉल डिटेल दाखिल नहीं की क्योंकि फोन बन्द हो चुका है।"

14. पी०डब्लू० 3 अनिल कुमार ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 246 दं0 प्र0 सं0 में कथन किया कि "ग्राम बसेड़ा में मेरी फर्नीचर की दुकान है। खुर्शी फर्नीचर के नाम से दुकान है। मैं अपने गांव के पंडित सुकराम शर्मा को जानता हूं। सुकराम ने अपनी लड़की भारती शर्मा की शादी के लिए सामान खरीदा था। दिनांक 25.10.2019 को सामान खरीदा था। बैड, सौफा, अलमारी आदि खरीदा था। ये सामान 81,500 रूपये का खरीदा था। मेरे सामान की रसीद/बिल सुकराम शर्मा को दिया था। गवाह ने पत्रावली पर पेपर नं0 9 को देखकर कहा कि ये वही सामान की रसीद है जो मैंने सुकराम को दी थी। गवाह ने रसीद देखकर कहा कि रसीद पर मेरे हस्ताक्षर है। रसीद मेरे हस्तलेख में है।"

जिरह में कथन किया कि "रसीद मैंने शाम के समय दी थी। समय याद नहीं है। रसीद पर सुकराम के हस्ताक्षर नहीं है। बैड हमने 18–20 हजार का दिया था। मुझे ड्रेसिंग मशीन की कीमत के बारे में याद नहीं है। कूलर इन लोगों ने अलग कंपनी का लिया था। रसीद हमने बनायी थी। रसीद मैंने बनायी थी। कूलर की कीमत मैं अब नहीं बता सकता हूं। गाव में पक्का कौन बिल देता है। जी.एस.टी. वाला बिल नहीं है। मिक्सी मैंने ही दी थी। लगभग 2500 कीमत की थी। 10 साल पहले हमने ये सोरूम खोला था। इस रसीद जारी करने में लगभग 5–6 वर्ष पूर्व खोला था। 80 हजार के लगभग सामान की कीमत है। शायद 9–10 सामान लिये थे। ये कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में आकर झूठी गवाही दे रहा हूं और फर्जी रसीद भारती शर्मा को दी हो।"

15. पी०डब्लू० 4 बिजेन्द्र कुमार ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 246 दं0 प्र0 सं0 में कथन किया कि "मैं सुखराम शर्मा को जानता हूं। ये ग्राम बसेड़ा के रहने वाले है। इनकी लड़की भारती शर्मा को जानता हूं। सुखराम शर्मा ने अपनी लड़की भारती शर्मा की शादी के लिए दिनांक 09.10.2019 को एक चैन, एक अंगूठी, एक जोड़ी कुंडल, एक मोती मुझसे खरीदे थे। जिसका बिल/रसीद दिनांक 09.10.2019 को अपने हस्ताक्षर करके दिये थे। गवाह ने पेपर नं0 7 पर बिल/रसीद को देखकर कहा कि ये वही बिल है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। दिनांक 03.11.2019 को सुखराम शर्मा ने सोने के जेवरात व चांदी मुझे खरीद लिये थे, जिसका मैंने बिल/रसीद दिनांक 03.11.2019 को सुखराम को दी थी, जिस पर मेरे हस्ताक्षर

है। यह बिल 1,39,800/–रूपये का है। गवाह ने पेपर नं0 8 को देखकर कहा कि ये वो ही बिल/रसीद जो मेरे द्वारा दिनांक 03.11.2019 को दी थी जिस पर मेरे हस्ताक्षर है।"

जिरह में कथन किया कि "मुझे लगभग 30 वर्ष से कार्य कर रहा हूं। मैंने जो बिल दिया था वो किस क्रमांक का है। वो मेरे याद नहीं है। ये दुकान मेरी है। लगभग 1,03,000/–कीमत थी जो मैंने 09.10.2019 को दिये थे। सोने की चैन लगभग 40,000/–रूपये की थी। अंगूठी आधे तौले की थी। मैं वजन कुंडल का बता सकता हूं, कीमत नहीं। कैश मीमो पर क्रेता के हस्ताक्षर नहीं है। कैश मीमो पर किसी के हस्ताक्षर नहीं मिलेंगे। कैश मीमो की मुझे तारीख और महीना याद नहीं है। सन् याद है। चैन और लोकेट का वजन लगभग 15 ग्राम था। एक जोड़ी झुमकी का वजन तथा कीमत अब मेरे याद नहीं है। 03.11.2019 को जारी रसीद में कितने आभूषण थे। मैं अब नहीं बता सकता, परन्तु कीमत 2,40,000/–रूपये था। आज खुद कहा 1,40,000/–रूपये कीमत थी। पत्रावली पर दाखिल असल रसीदे है। ये रसीदे जी.एस.टी. कटने वाली नहीं है। इन्होंने मुझे पैसा कैश दिया था। एकाउंट में नहीं दिया था। जिस रसीद बुक से मैंने ये रसीदे काटी है उनकी बुक में आज न्यायालय में नहीं लाया हूं। जो हिसाब हो जाता है, उनको हम फैंक देते है। ये कहना गलत है कि मैंने न्यायालय में प्रयुक्त रसीदे झूठी तैयार की हो तथा पक्का व सही बिल न दिया हो और आज मैं न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं।"

16. हस्तगत मामले में न्यायालय को यह देखना है एवं न्यायालय के सम्मुख विचारणीय प्रश्न निम्नवत् है–

क्या परिवादिया यह प्रमाणित करने में सफल रही है कि उसका स्त्रीधन अभियुक्तगण के पास न्यस्त(entrusted) था एवं अभियुक्तों के द्वारा उसका बईमानी से दुर्विनियोग(dishonestly misappropriates) किया गया ?

17. चूंकि हस्तगत मामले में धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधान अन्तर्वर्लित है। अतएव उक्त प्रावधान का संक्षेप में उल्लेख समीचीन है।

धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार–

> "*जो कोई सम्पत्ति या सम्पत्ति पर कोई भी अख्त्यार किसी भी प्रकार अपने को न्यस्त किये जाने पर उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है, या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसको विहित करने वाली विधि के किसी निदेश का, या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गयी किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करके बेईमानी से उस सम्पत्ति का उपयोग या व्ययन करता है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है, वह 'आपराधिक न्यासभंग' करता है।*"

18. परिवादीया द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि परिवादिया भारती शर्मा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में परिवाद के तथ्यों की पुष्टि की गई है एवं अपने पिता द्वारा 15 लाख रूपये खर्च एवं सामान दिये जाना बताया है, किन्तु अपनी प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह यह नहीं बता सकती कि सामान किस दुकान से खरीदा गया उसने यह भी स्वीकार किया है कि सामान की सूची पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे और न ही विवाह के समय कोई सूची ससुराल पक्ष को दी गई।

सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि स्वयं परिवादीया द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसने मुकदमें के सामान से सम्बन्धित कोई पक्की रसीद या बिल दाखिल नहीं किए गए, यद्यपि बाद में परिवादीया द्वारा कथित बिल दाखिल किए गए।

19. **सामान विक्रेता साक्षियों पी0 डब्लू0 3 अनिल कुमार व पी0 डब्लू0 4 बिजेन्द्र के साक्ष्य का विश्लेषण–**

पी0 डब्लू0 3 अनिल कुमार, जो फर्नीचर विक्रेता है, ने कथन किया है कि "परिवादिया के पिता ने 81,500/–रूपये में बैड, सौफा व अलमारी खरीदे थे, किन्तु इसी साक्षी ने अपनी प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि कथित रसीदों पर खरीददार के हस्ताक्षर नहीं है एवं उसके द्वारा दिया गया बिल जी.एस.टी. वाला पक्का बिल नहीं था। उसके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि कूलर व ड्रेसिंग मशीन की कीमत वह नहीं बता सकता।"

पी0 डब्लू0 4 बिजेन्द्र, जो सुनार है, ने कथन किया है कि "उसने परिवादीया के पिता को स्वर्ण व रजत आभूषण विक्रित किए थे जिसकी उसने रसीदे दी थी। किन्तु प्रति परीक्षा में साक्षी ने यह स्वीकार करता है कि कैश बुक पर विक्रेता के हस्ताक्षर नहीं है। इस साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि रसीद बुक न्यायालय में लेकर नहीं आया है। वह पुराना हिसाब फेंक देता है।"

उल्लेखनीय यह है कि इस साक्षी द्वारा भी जी.एस.टी. वाला पक्का बिल नहीं दिया गया, बल्कि कच्चा बिल दिया गया, जोकि एक युक्तियुक्त सन्देह उत्पन्न करता है।

20. इस सम्बन्ध में **दहेज प्रतिषेध(वर–वधू भेंट सूची) नियम, 1985** के नियम (2) का उल्लेख किया जाना समीचीन है। जो यह प्रावधानित करता है कि–

(1) *विवाह के समय जो भेंटे वधू को दी जाती हैं उनकी एक सूची वधू रखेगी।*

(2) *विवाह के समय जो भेंटे वर को दी जाती हैं उनकी एक सूची वर रखेगा;*

(3) *उप– नियम (1) या उप –नियम (2) में निर्दिष्ट भेंटों की प्रत्येक सूची:–*

(क) *विवाह के समय या विवाह के पश्चात यथासम्भव शीघ्र तैयार की जाएगी;*

(ख) *लिखित में होगी;*

(ग) *उसमें होगा:–*

(i) *प्रत्येक भेंट का संक्षिप्त विवरण;*

(ii) *भेंट का अनुमानित मूल्य;*

(iii) *उस व्यक्ति का नाम जिसने भेंट दी है; और*

(iv) *यदि वह व्यक्ति जिसने भेंट दी है वधू या वर का नातेदार है तो ऐसी नातेदारी का विवरण;*

(घ) *वर और वधू दोनों द्वारा हस्ताक्षरित होगी।*

इस प्रकार, उपरोक्त नियम 3 का उपखण्ड (घ) स्पष्ट तौर पर प्रावधानित करता है कि विवाह के समय जो भेंट वर को दी जाती है उसकी एक सूची वर व एक सूची वधू रखेगी। वह दोनों सूचियां वर व वधू द्वारा हस्ताक्षरित होंगी, किन्तु पत्रावली का परिशीलन दर्शाता है कि पत्रावली पर इस प्रकार की कोई सूची नहीं है, जो वर पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित हो एवं साक्षियों के विश्लेषण से यह तथ्य भी स्थापित होता है कि विवाह के समय ऐसी कोई सूची यदि बनाई भी गई हो तो वर को दी गई हो?

इस प्रकार, उपरोक्त का अभाव निश्चित तौर पर दहेज प्रतिषेध(वर–वधू भेंट सूची) नियम, 1985 के नियम (2) के उल्लंघन में है।

21. परिवाद दायर करने में हुए विलम्ब का विश्लेषण–

परिवादीया का विवाह दिनांक 08.11.2019 को सम्पन्न हुआ एवं कथित रूप से उसे दिनांक 27.08.2021 को घर से निकाल दिया गया एवं परिवाद दिनांक 23.12.2021 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार परिवाद दायर करने में कोई बड़ा विलम्ब नहीं हुआ है एवं वैवाहिक विवाह में विलम्ब को बहुत गम्भीर नहीं माना जाता तथापि हस्तगत मामले में परिवादीया द्वारा दिए गए साक्ष्यों में घटनाक्रम की निरन्तरता का अभाव दिखता है जिससे कि परिवादिया के कथानक की विश्वसनीयता पर आंशिक प्रश्न आरोपित हो जाता है।

22. **न्यस्त्व(Entrustment) की साक्ष्य के आलोक में व्याख्या–**

परिवादीया व उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी0 डब्लू0 2 अंकुर शर्मा ने कथन किया है कि 15 लाख रूपये का सामान सौंपा गया था, किन्तु इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में स्वीकार किया है कि विवाह के समय कोई सूची अभियुक्तगण को नहीं दी गई और न ही उनपर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लिए गए। बिना किसी हस्ताक्षर सूची में मात्र मौखिक कथनों के आधार पर न्यस्त्व को प्रमाणित मानना स्थापित विधि के विरुद्ध होगा।

23. धारा 406 भा०दं०सं० के अपराध को गठित करने के लिए केवल सामान का ससुराल में होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सिद्ध करना अनिवार्य है कि सामान विशिष्ट रूप से अभियुक्तगण को सौंपा गया था और उन्होंने उसे वापस करने से स्पष्ट इनकार कर बेईमानी से अपने उपयोग में लिया किन्तु हस्तगत मामले में, सामान की सुपुर्दगी (entrustment) के ठोस साक्ष्य का अभाव है।

24. इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **Onkar Nath Mishra v State (NCT of Delhi) (2008)2 SCC 561** का उल्लेख बहुत ही प्रासंगिक है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

> *"The allegation against the husband and in–laws for having committed a criminal breach of trust cannot be sustained as there was no material to show that the petitioners had criminally misappropriated any stridhan property of the complainant and the charge framed against them under section 406 of Indian Penal Code must be quashed."*

25. धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप को साबित करने हेतु न्यस्त किये जाने पर उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया जाना आवश्यक है, परन्तु हस्तगत मामले में परिवादिया द्वारा प्रस्तुत साक्षियों में भारी विरोधाभास है। साक्षीगण के कथनों से यह स्पष्ट नहीं होता कि कौन सा आभूषण या सामान किस अभियुक्त के व्यक्तिगत कब्जे में है। सामान्य आरोप लगाना विशिष्ट सुपुर्दगी के सिद्धान्त के विपरीत है।

26. इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत सामान की सूची अपुष्ट है और उस पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। साक्षियों के विश्लेषण से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि परिवादिया ने 15 लाख रूपये के खर्च व सामान की एक विशिष्ट सूची प्रस्तुत की गई है, किन्तु इन सामानों से सम्बन्धित प्रमाणित बिल या रसीदे प्रारम्भ में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए थे। जो रसीदे बाद में पी0 डब्लू0 3 अनिल कुमार व पी0 डब्लू0 4 बिजेन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत की गई है वे जी.एस.टी. रहित कच्ची रसीदे हैं एवं उन पर क्रेता के हस्ताक्षर नहीं है, जिनसे उनकी विश्वसनीयता सन्देहास्पद हो जाती है।

27. अतएवं सम्पूर्ण साक्ष्यों के परिशीलन के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि परिवादिया अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतया विफल रही है। साक्षियों में अन्तर्निहित विरोधाभास, आर्थिक क्षमता का अभाव, दस्तावेजी साक्ष्यों(पक्के बिल) की अनुपलब्धता और सामान की सुपुर्दगी के सम्बन्ध में किसी विशिष्ट व ठोस प्रमाण का न होना अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का पर्याप्त आधार प्रदान करते है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **1. अंकित भारद्वाज पुत्र सतीश कुमार शर्मा, 2. श्रीमती ऊषा देवी पत्नी सतीश कुमार शर्मा एवं 3. सतीश कुमार पुत्र ब्रजमोहन शर्मा**, निवासीगण म0 नं0 112/3 मौ0 कमलनगर, एम 0 आर 0 पब्लिक स्कूल के पास थाना नई मण्डी, जिला मुजफ्फरनगर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से दोषमुक्त (Acquitted) किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बन्ध–पत्र निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुपालन में इस न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बन्ध–पत्र एवं प्रतिभूति प्रस्तुत करेंगे, जो आगामी छह माह तक प्रभावी रहेंगे, ताकि अपील की स्थिति में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

दिनांक: 01.04.2026

(डा0 डी0 एस 0 फौजदार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0 1, मुजफ्फरनगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक: 01.04.2026

(डा0 डी0 एस 0 फौजदार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0 1, मुजफ्फरनगर।